न्यायालय सहायक कलक्टर देवगढ़ जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, अर्चना चौधरी आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 21/2021(रे0वाद)
दायर दिनांक – 26/03/2021
निर्णय दिनांक – 25/08/2025

अनवान

1. चतरी पुत्री चमनसिंह पत्नि दल्लासिंह जाति रावत निवासी चुन्दी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. टमू पुत्री चमनसिंह पत्नी किसनसिंह जाति रावत निवासी चुन्दी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी दिवासी तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. फतूदेवी पुत्री चमनसिंह पत्नी दल्लासिंह जाति रावत निवासी चुन्दी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी दिवासी तहसील भीम जिला राजसमन्द

– वादीगण

विरूद्ध

1. भोजसिंह पिता नेनूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम चुन्दी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. पानी पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी ग्राम चुन्दी तहसील देवगढ़ हाल निवासी ग्राम दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता चमनसिंह पिता रामसिंह की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चुन्दी पटवार मण्डल जीरण में स्थित है एवं चमनसिंह की दिनांक 22/08/2007 को मृत्यु हो गई है। राजस्व कैम्प अभियान में पटवार हल्का द्वारा बिना कोई

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

जॉच किये व बिना वादीगण की गैर मौजूदगी में विरासत के नामान्तरण संख्या 255 दिनांक 13.12.2010 को राजस्व कैम्प में दर्ज में हमारे नामों के साथ–साथ लक्ष्मणसिंह का नाम दर्ज हो गया है उक्त लक्ष्मणसिंह जो नीम्बासिंह का पुत्र है न की चमनसिंह का जिसकी मृत्यु उपरान्त लक्ष्मणसिंह के स्थान पर उसकी पत्नी का नाम जरिये नामान्तरण संख्या 249 दिनांक 05.07.2008 का दर्ज कर दिया है। निम्बसिंह जो पानी के ससुर थे उनकी मृत्यु होने से विरासत से नामान्तरकरण संख्या 94 से भूमि पानी के पति लक्ष्मणसिंह के नाम पर दर्ज हुई। वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जेयाबी की भूमि आराजी मौजा चुन्दी जमाबन्दी संवत् 2076 के अनुसार तहसील देवगढ़ में स्थित खाता संख्या 7 खसरा संख्या 385 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खाता संख्या 17 खसरा संख्या 136 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खाता संख्या 19 खसरा संख्या 125, 129, 130, 134, 135, 137, 168, 178, 179, 182, 231, 386, 391, 55, 62, 63 कुल किता 16 कुल रकबा 2.5600, खाता संख्या 21 खसरा संख्या 139 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या 20 खसरा संख्या 377 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खाता संख्या 46 खसरा संख्या 193 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादीगण के माता–पिता ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पति लक्ष्मणसिंह को गोद नहीं रखा। लक्ष्मणसिंह पिता नीम्बसिंह जो फर्जी पुत्र चिमनसिंह पिता रामसिंह का बना जबकि चिमनसिंह के कोई पुत्र नहीं था और ना ही किसी को गोद रखा लक्ष्मणसिंह तो निम्बसिंह का पुत्र होने से निम्बसिंह की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 94 दर्ज हुआ उसमें उनके पुत्र चुनसिंह, प्रेमसिंह, लक्ष्मणसिंह, हजारीसिंह पिता निम्बसिंह के नाम है। एवं लक्ष्मणसिंह की मृत्यु होने से उनके हिस्से की भूमि पानी पत्नी लक्ष्मणसिंह के नाम पर दर्ज हुई व वर्तमान में पानी की जीवित है। लक्ष्मण का नाम उनके पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत से गलत दर्ज कर दिया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है इससे किसी के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 01 भोजसिंह पिता नेनुसिंह को भी हमारे माता–पिता द्वारा कभी भी गोद नहीं रखा गया था ना ही हमारे परिवार का सदस्य है हमारे हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से फसल बोई थी जो बिना हमारी स्वीकृति के हमारी भूमि पर पर अतिक्रमण कर दिया गया। वर्तमान खाता संख्या 17 आराजी संख्या 136 क्षेत्रफल 0.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

07 में प्रतिवादिया संख्या 02 के पति का नाम लक्ष्मणसिंह पिता चमनसिंह दर्ज है वह गलत है लक्ष्मणसिंह के पिता का नाम निम्बसिंह है उसका भी नाम हमारी खातेदारी भूमि से नाम विलोपित किया जावे। वादीयागण जो अपने सुसराल में रहती है को बाद में अपने पीहर जाने पर रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला की रिकॉर्ड में गलती से उसके पिता चमनसिंह की विरासत में लक्ष्मणसिंह का नाम दर्ज हो जाने से पानी ने निम्बसिंह की भूमि के हिस्से के उनके नाम के साथ–साथ भोजसिंह जो नेनुसिंह का पुत्र है उसने भी बिना किसी अधिकारी के वादीयागण के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर दिया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने मिलकर वादीगणों के पिता के हिस्से में आई भूमि पर कब्जा कर रखा है संख्या 02 पानी का नाम हटाया जाकर भूमि में केवल वादीयागण का नाम दर्ज करने एवं रिकॉर्ड में सेवन से पुत्रियों को पुरूष लिख दिया है उसे दुरस्त किया जाकर पुरूष की जगह वादीयागण को महिला दर्ज कराया जावे एवं भूमि पर प्रतिवादीगणों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है जिसमें प्रतिवादीगण से भूमि का कब्जा वादीयागण को दिलाया जाना आवश्यक है। वाद कारण 10 दिन पूर्व वादिया द्वारा फसल को काटने हेतु अपने पीहर गई जहा उसके खेत पर गई तो पडौसियों ने बताया कि प्रतिवादीगण ने भूमि पर कब्जा कर फसल काट रहे है हमारे मना करने पर प्रतिवादीगण मारने पिटने पर आमादा हो गये तथा वादीयागण ने जमीन की नकले प्राप्त की उन्हे रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने की जानकारी मिली जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजी ग्राम चुन्दी तहसील देवगढ़ में खाता संख्या 7 आराजी संख्या 385 क्षेत्रफल 0.03, खाता संख्या 14 आराजी संख्या 136 क्षेत्रफल 0.07, खाता संख्या 19 आराजी संख्या 125 क्षेत्रफल 0.2600 आराजी संख्या 129 क्षेत्रफल 0.19 आराजी संख्या 130 क्षेत्रफल 0.13, आराजी संख्या 134 क्षेत्रफल 0.11, आराजी संख्या 135 क्षेत्रफल 0.15, आराजी संख्या 137 क्षेत्रफल 0.16, आराजी संख्या 168 क्षेत्रफल 0.20, आराजी संख्या 182 क्षेत्रफल 0.10, आराजी संख्या 231 क्षेत्रफल 0.18, आराजी संख्या 386 क्षेत्रफल 0.20, आराजी संख्या 391 क्षेत्रफल 0.2700, आराजी संख्या 55 क्षेत्रफल .0.2600, आराजी संख्या 62 क्षेत्रफल 0.2400, आराजी संख्या 63 क्षेत्रफल 0.0100 कुल किता 16 कुल रकबा 2.5600 व खाता संख्या 21 आराजी संख्या 139 क्षेत्रफल 0.05, खाता संख्या 20 आराजी

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

संख्या 377 क्षेत्रफल 0.1300, खाता संख्या 46 आराजी संख्या 193 क्षेत्रफल 0.03 में से प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जाकर उसके हिस्से की भूमि को वादीगण संख्या 1, 2, 3 के खाते दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 भोजसिंह व पानी अपने परिवारजन नौकर चाकर एजेन्ट आदि की सहायता से वादीगण के कब्जे में स्थित वादग्रस्त आराजी में प्रवेश नहीं करे। उनकी शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल उत्पन्न नहीं करे एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादीगण से नहीं होने से इस हेतु उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई। अतः अपेक्षित रहा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार है:—

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

वादीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि को वादीगण की पैतृक भूमि है वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण की गैरमाजूदगी में विरासत के नामान्तरकरण संख्या 255 दिनांक 13.12.2010 में लक्ष्मणसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया जो की अवैध है। लक्ष्मणसिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पानी के नाम नामान्तरकरण खोला गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 भोजसिंह पिता नेनुसिंह एवं लक्ष्मणसिंह को वादीगण के माता–पिता द्वारा गोद नहीं लिया गया था। पैतृक सम्पति पर वादीगण का वैधानिक अधिकार है।

उद्धरण(Citaitons)

- Bhanwar Singh Vs State of Rajasthan. 2022(2)WLN 355
  नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल राजस्व रिकॉर्ड का रख–रखाव है, इससे स्वामित्व अधिकार तय नहीं होते।
- Balwant Singh Vs Daulat Singh, AIR 1997SC 2719
  उत्तराधिकार का अधिकार कानून से तय होता है, राजस्व प्रविष्टि माल से किसी का अधिकार उत्पन्न नहीं होता।
- Jai Singh Vs Gurmej Singh, AIR 2009 SC2151
  गलत नामान्तरकरण को हटाकर वास्तविक उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।

वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। गलत प्रविष्टि को न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। स्त्री उत्तराधिकारियों के वैधानिक अधिकार को राजस्व न्यायालय में भी मान्यता दी जानी चाहिए। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम चुन्दी ग्राम पंचायत जीरण तह0 देवगढ के खाता संख्या 7 खसरा संख्या 385 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खाता संख्या 17 खसरा संख्या 136 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खाता संख्या 19 खसरा संख्या 125, 129, 130, 134, 135, 137, 168, 178, 179, 182, 231, 386, 391, 55, 62, 63 कुल किता 16 कुल रकबा 2.5600, खाता

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

संख्या 21 खसरा संख्या 139 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या 20 खसरा संख्या 377 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खाता संख्या 46 खसरा संख्या 193 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का नाम विलोपित करते हुए चमनसिंह पिता रामसिह के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :– 21 / 2021

अनवान

1. चतरी पुत्री चमनसिंह पत्नि दल्लासिंह जाति रावत निवासी चुन्दी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. टमू पुत्री चमनसिंह पत्नी किसनसिंह जाति रावत निवासी चुन्दी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी दिवारी तहसील भीम जिला राजसमन्द।
3. फतूदेवी पुत्री चमनसिंह पत्नी दल्लासिंह जाति रावत निवासी चुन्दी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी दिवासी तहसील भीम जिला राजसमन्द।

– वादीगण

विरूद्ध

1. भोजसिंह पिता नेनूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम चुन्दी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. पानी पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी ग्राम चुन्दी तहसील देवगढ़ हाल निवासी ग्राम दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द।
3. तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।

में इस आशय मे दिनांक 25 / 08 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम चुन्दी ग्राम पंचायत जीरण तह0 देवगढ के खाता संख्या 7 खसरा संख्या 385 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खाता संख्या 17 खसरा संख्या 136 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खाता संख्या 19 खसरा संख्या 125, 129, 130, 134, 135, 137, 168, 178, 179, 182, 231, 386, 391, 55, 62, 63

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कुल किता 16 कुल रकबा 2.5600, खाता संख्या 21 खसरा संख्या 139 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या 20 खसरा संख्या 377 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खाता संख्या 46 खसरा संख्या 193 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का नाम विलोपित करते हुए चमनसिंह पिता रामसिह के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द